भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 518
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महिला उद्यम त्वरण फंड

518. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्थापित महिला उद्यम त्वरण फंड के लाभार्थियों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु और करूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशिष्ट आंकड़ों और आज की तारीख तक संवितरित की गई कुल ऋण गारंटी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उन उद्यमों को अपनाने के लिए उपरोक्त योजना के दायरे का विस्तार करना आवश्यक समझती है जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वर्तमान वर्गीकरण से परे हैं;

(घ) क्या महिला उद्यम त्वरण फंड ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त वित्तीय अंतर को प्रभावी ढंग से पाटता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने एक **महिला उद्यम त्वरण कोष** स्थापित किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्यों को अपने उद्यमों का विस्तार और प्रसार करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना है। महिला उद्यम त्वरण कोष के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

i. ऋण देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति।
ii. प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्यों को समय पर पुनर्भुगतान पर ब्याज सहायता।

चूंकि, योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक एसएचजी सदस्यों के लिए ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है, अत: इस मंत्रालय ने विशिष्ट ऋण उत्पादों को डिजाइन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है। अभी तक, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक ने एसएचजी सदस्यों के लिए विशेष ऋण प्लान बनाए हैं और इन ऋण सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए इस मंत्रालय के साथ औपचारिक साझेदारी की है।

तमिलनाडु में महिला लाभार्थियों की संख्या:

पिछले तीन वर्षों में महिला एसएचजी सदस्यों को संवितरित ऋण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)
1	2023-24	933	11.43
2	2024-25	29440	620.91
3	2025-26	31,061	456.14

(ख): अभी तक, क्रेडिट गारंटी सहायता घटक के तहत कोई राशि संवितरित नहीं की गई है। इसके अलावा, इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी पात्र दावे तैयार होते हैं तब बैंकों/ऋण देने वाले संस्थानों को सहायता राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, इस योजना के इस घटक के लिए निधियों के प्रबंधन में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।

(ग): जी नहीं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी वाला ऋण प्रदान करने के साथ-साथ, 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करके सहायता और सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान में , इस योजना में किसी भी बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ): जी हाँ। इस योजना के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के 01 बैंक ने विशेष रूप से एसएचजी सदस्यों के लिए विशिष्ट ऋण प्लान बनाए हैं। इसके अलावा , इस मंत्रालय की सलाह पर, बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 से अपने ऋण लक्ष्यों में विशेष ध्यान दिए जाने वाले एक क्षेत्र के रूप में एसएचजी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप वित्तपोषण प्रदान करना शामिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आज तक) में, ग्रामीण क्षेत्रों में 5.57 लाख एसएचजी सदस्यों ने अपने उद्यमों की स्थापना और विस्तार के लिए कुल 8,321.21 करोड़ रुपए के ऋण का लाभ प्राप्त किया है। संचयी रूप से , 11.11 लाख से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों को सहायता प्रदान करते हुए 14,162.96 करोड़ रुपए तक की राशि के बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।

(ङ): उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

****